ACM आमेर जि. जयपुर

फर्द अहकाम

तोफान बनाम सरकार

51/23 धा.91.

...क आज्ञा या ...कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
23/5/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उपस्थित। दौराने बहस किये गये तथ्यों व प्रा०प० के आधार पर प्रा०प० अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः श्रीमती सुमन चौधरी आर.ए.एस.

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या– 51/2023

1. तोफान मीणा
2. कैलाश मीण
3. प्रदीप मीणा

पुत्रान गंगाराम मीणा समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथपुरा तहसील आमेर जयपुर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जयपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजियक आमेर जयपुर

....अप्रार्थीगण

3. राजपाल मीणा पुत्र स्व. श्री अर्जुन मीणा, जाति मीणा
4. श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व. श्री लालचन्द्र मीणा
5. मुन्शी मीणा पुत्र स्वक्र श्री लालचन्द्र मीणा
6. सुरेश मीणा पुत्र स्व. श्री लालचन्द्र मीणा
7. गोकुल मीणा पुत्र स्व. श्री लालचन्द्र मीणा

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम रघुनाथपुरा तहसील आमेर जयपुर

....तरतीबी अप्रार्थीगण

<u>अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र</u>

निर्णय दिनांक 23.05.2025

हस्तगत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वाके ग्राम रघुनाथपुरा, पटवार क्षेत्र खन्नीपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जाहोता, तहसील आमेर जिला जयपुर में प्रार्थीगण व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण के पूर्वज व पितामाह गंगू पुत्र डालू जाति मीणा के नाम व कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि स्थित है, जिसके साबिक खसरा नम्बर 447 रकबा 6 बिस्वा, जिसके बाद भू–प्रबन्धक विभाग के द्वारा बनाये गये हाल खसरा नम्बर 133 रकबा 0.04 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 139 रकबा 0.010 हैक्टेयर बने। खसरा नम्बर 139 का रकबा 0.010 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 145 व 147 मिन से बना है। साबिक खसरा नम्बर 147 के मूल रकबा प्रार्थीगण व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण के पूर्वज गंगू उर्फ गंगल्या पुत्र डालू मीणा की खातेदारी कृषि भूमि रही है। जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी अनुसार दर्ज अंकित है। प्र[illegible] प्रफोर्मा अप्रार्थीगण के पूर्वज व पितामाह गंगू उर्फ गंगल्या पुत्र डालू मीणा [illegible]सत नामान्तरकरण प्रार्थीगण व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण के आपसी सहमति से प्र[illegible] के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में विधिवत् रूप से दर्ज अंकित किया गया, जिसके [illegible]ार पर हाल जमाबंदी में हाल खसरा नम्बर 133 रकबा 0.04 हैक्टेयर प्रार्थीगण के मृतक भाई लालचंद के नाम दर्ज किया गया। तत्पश्चात् लालचन्द पुत्र गंगाराम उर्फ गंगल्या की मृत्यु हो जाने से उक्त विरासत नामान्तरकरण प्रार्थी संख्या–4 प्रदीप मीणा पुत्र स्व. श्री लालचन्द एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या–4 लगायत 7 के नाम विधिवत् रूप से

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर

राजस्व रिकार्ड में खोला गया, जिसके आधार पर हाल जमावंदी प्रार्थी संख्या–4 प्रदीप मीणा व प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या–4 लगायत 7 के नाम खसरा नम्बर 133 रकवा 0.04 हैक्टेयर दर्ज अंकित है। उक्त इन्द्राजात से प्रार्थीगण एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण को किसी प्रकार से कोई एतराज नहीं है। राजस्व कर्मचारी भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विना किसी न्यायालय व डिकी के साबिक खसरा नम्बर 147 के मूल रकवा 6 बिस्वा में से 2 बिस्वा जमीन कम कर नये नम्बर खसरा नम्बर 133 का रकबा 0.04 हैक्टेयर कर दिया गया तथा उक्त 2 बिस्वा जमीन को नये नम्बर 139 कायम कर खसरा नम्बर 139 का रकबा बढ़ाया जाकर उक्त 02 बिस्वा को रास्ते के रूप में दर्ज अंकित कर दिया गया, जिसका भू–प्रबन्धक विभाग को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं था। कानून में दिये गये प्रावधानों के अनुसार भू–प्रबन्धक विभाग को कहीं भी यह अधिकार प्रदत्त नहीं किये गये हैं कि वह राजस्व रिकार्ड में रकबे को कम, ज्यादा करे या खातेदारी परवर्तन करे। कानून में दिये गये प्रावधान के अनुसार भू–प्रबन्धक विभाग को केवल मात्र पूर्व इन्द्राजात को बहाल रखना व सर्वे करना है, ना कि इन्द्राज परिवर्तन करना है। भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा किये गये अवैध इन्द्राज से प्रार्थीगण व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण के पूर्वजों की खातेदारी कृषि भूमि में से 02 बिस्वा जमीन कम हो गयी है, जिसे दुरूस्त करवाने का प्रार्थीगण को पूर्ण विधिक अधिकार प्राप्त है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 139 के कुल रकबा 0.10 हैक्टेयर में से जो 02 बिस्वा जमीन प्रार्थीगण के हक व हिस्से की भू–प्रबन्धक विभाग के कर्मचारियों द्वारा गलती से खसरा नम्बर 139 में जोड़ी जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता अमल दरामद किया गया है, उक्त 02 बिस्वा जमीन पर आज भी प्रार्थीगण काबिज काश्त है, जिस पर मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण ने हाल ही में दिनांक 20–06–2023 को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी की प्रतियाँ इत्यादि निकलवायी, तब जानकारी में आया कि मूल रकबे से 02 बिस्वा जमीन कम कर दी गयी है, जिसके बाद पुराने राजस्व रिकार्ड जमाबंदी, नक्शे इत्यादि का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता से विधिक राय ली जाकर जानकारी में आने के पश्चात् उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। प्रार्थीगण के पूर्वज गंगू उर्फ गंगल्या पुत्र श्री डालू उपरोक्त मुतदाविया आराजीयात का साबिक खसरा नम्बर 147 के अनुसार भू–अभिलेख रिकार्ड में खातेदार काश्तकार है। इसलिये अप्रार्थीगण को वाद अधीन कृषि भूमि 02 बिस्वा जो हाल खसरा नम्बर 139 में दर्शित कर रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज अंकित किया है, में सड़क निर्माण करने का अप्रार्थी संख्या–1 को कोई हक व अधिकार हासिल नहीं है। चूँकि अप्रार्थी संख्या–1 लैण्ड रिकाडेर्ड ऑफिसर है, जो राजस्व रिकार्ड का मालिक है, जिसके आधार पर प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि 02 बिस्वा पर हुये गलत इन्द्राज रास्ता पर सड़क निर्माण करने पर आमादा व उतारू है, इसलिये प्रार्थीगण को अपने खातेदारी अधिकारों की सुरक्षार्थ माननीय न्यायालय हाजा में यह दावा बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करने हेतु मजबूर होना पड़ा है और चूँकि प्रार्थीगण के अधीन कृषि भूमि में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार निहित है इसलिये प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाकर अप्रार्थीगण को वांछित अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि ग्राम रघुनाथपुरा, पटवार क्षेत्र खन्नीपुरा,

भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जाहोता, तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि के साबिक खसरा नम्बर 147 से बने हाल खसरा नम्बर 139 में से 02 बिस्वा जमीन वादग्रस्त रास्ते की भूमि का राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त नहीं हो जाता, तब तक उक्त रास्ते की भूमि को प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण के शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग, कब्जा–काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी, हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट, मदाखलत, मजाहमत इत्यादि करने से निषेद्ध रहे तथा एजेण्ट, प्रतिनिधि, सर्वेण्ट इत्यादि को भी निषेद्ध रखे तथा मौके पर किसी प्रकार का पक्का सड़क निर्माण नहीं करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के उपरान्त अप्रार्थीगण की विधिवत जरिये रजिस्टर्ड एडी तलवी की गई।

विद्वान अधिवक्ता वादी/प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिन्होने मुख्य रुप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए हैं। हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत तर्को एवं दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे प्रथम दृष्टया साबित हो की अप्रार्थीगण आराजी पर रास्ता कायम कर रहे हो तथा खुर्द फुर्द कर रहे हो तथा निर्माण कार्य कर रहे हो अर्थात प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया केस साबित करने में असफल रहे है। फलस्वरूप दौराने बहस उल्लेखित किये गये तथ्यो के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित नही होता है, ना ही सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तथ्य प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है। जहाँ तीनों बिन्दुओं में से एक भी बिंदू का अभाव हो, वहाँ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती, यहाँ पर प्रार्थीगण ने प्रथमदृष्टया केस साबित नहीं किया है, इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है। यद्यपि मूलवाद का निस्तारण उभपक्षकारान को विस्तृत रूप से सुना जाकर तथा साक्ष्यों के दृष्टिगत किया जाना है जो कि हस्तगत प्रार्थना पत्र के हाल निर्णय से किसी भी रूप में तथा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है। प्रस्तुत तथ्यों, तर्कों व दस्तावेजो के अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया, तथ्यों के दृष्टिगत मात्र प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर